

न्यायालयः - श्रीमात् राजस्व मण्डल नवालियर १५०४०१
न्यायालयः - श्रीमात् राजस्व मण्डल नवालियर १५०४०१

R 242-191

१ - रामजीलाल

2-रक्तनाश लिङ

३-प्रत्यारोप

ପ୍ରମାଣ ନିର୍ମାଣ

4-श्रीमती रामवतीर्णी पुरी गंगाराम पीटन बलराम
कोइराली की जला

मुरेना० महाय-प्रदेश० १

-प्रथमित ।

१८८५

।- श्रावकर सिंह पुत्र श्रीचंद्र मृतक दारिसान :--

— जागीकरण विभाग राज्य के लिए

४७५ - कटोरी पुनी शाकर सिंह

— निवासी ग्राम छाड़ोरा है सील बाड़ा

१८५४ विद्यालय संस्था

५४-राज्यतो प्रभु राक्षर भीष्म प्रीति वर्णत

ग्राम भग्नलिपरा तैहसील ग्रामलयर ।
ग्राम भग्नलिपरा तैहसील ग्रामलयर ।

— रघुनाथ को पूछते हुए कर्त्ता ने कहा—

ପାତ୍ରମଣ୍ଡଳ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହୁ ଫୌଜ ଏତ୍ତମାର୍ଗ

संस्कृत वाचः

— पर्वतमाल १२५ इकाई ग्राम पर्वतपुरा नाम
का नाम बोना सहय-पुर्वोत्तर

कांवर परमाना त्रिलोक मुरेना चैत्र-पूर्णि ।

— — — — —
— — — — —
— — — — —

२-कीकृ पुरी राजाराम मठ दार्शन
— त्रिलोकपाल उत्तम विद्यालय

त्रिविद्या त्रिविद्या त्रिविद्या त्रिविद्या
त्रिविद्या त्रिविद्या त्रिविद्या त्रिविद्या

ਗੁਣੇਚਾਤ ਦੇਵਸੀਲ ਉਥੋਹਥ ਪਰਮਾਨਾ ਰੂਪ
— ਕਾਲੋ ਘਰਧਾਟ ਬਾਬੀਆ

—
નુકાણની વિરુદ્ધ પોદ્યુલ ફોટોગ્રાફ 30-9-91 ચાચાનુ
—

की कार्राना। वैष्णवी लोक
पुराणा। पुराणा। पुराणा।

अपराह्निका अनुसार 50 मणि-लोकासं
230/3 | -8200-5701 अनुग्रहीता

卷之三

(1b)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 242-एक / 1991

जिला—मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-08-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 7-4-1993 से लगातार अनुपस्थित हैं। प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 12-8-2014 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 7-4-1993 से 12-8-14 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे। वहीं सुनवाई दिनांक 12-8-2014 को तीन बार पुकार लगवाई गई इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रुचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 1991 से लंबित चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रुचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	 प्रशासकीय सदस्य